



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18461

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आदेश से प्रथम अपील संख्या - 7 वर्ष 2026

लाल जी यादव

.....अपीलार्थीगण

बनाम

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं 9 अन्य

.....प्रतिवादीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : अमित कुमार सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, दीपाली श्रीवास्तव
सिन्हा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मो. आसिम जुल्फिकार, राधे श्याम

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 38

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. मालिक-अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपाली श्रीवास्तव सिन्हा, प्रतिवादी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता, और दावाकर्ता-प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद आसिम जुल्फिकार की ओर से की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्री अभिषेक त्रिपाठी मौजूद हैं।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत यह अपील, दोषी तीन-पहिया वाहन संख्या UP-70-ए टी-3092 के मालिक द्वारा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/जिला न्यायाधीश, कौशांबी द्वारा एम.ए.सी.पी. संख्या 70 वर्ष 2006 (श्रीमती नगमा बेगम बनाम लाल जी यादव और अन्य) में पारित दिनांक 21.07.2009 के निर्णय और पंचाट जिसे बाद में 29.07.2009 को संशोधित किया गया था के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय के तहत, दिनांक 09.04.2009 को हुई एक सड़क दुर्घटना में खालिक अहमद उर्फ अच्छे की असामयिक मृत्यु के लिए, दावाकर्ता को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 3,89,000/- रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया गया है; इस मुआवज़े का भुगतान शुरू में दोषी वाहन के बीमाकर्ता द्वारा किए जाने का आदेश दिया गया था, किंतु बाद में बीमाकर्ता को दोषी वाहन के मालिक से इस राशि की वसूली करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूँकि दोषी वाहन के पास वैध परमिट नहीं था तथा दोषी चालक के पास दुर्घटना की तिथि पर हल्के मोटर वाहन (निजी) चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, अतः प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व टेम्पो के स्वामी पर डाला दिया गया, जो त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूँकि दोषी वाहन का लदा हुआ भार सहित वजन केवल 975 किलोग्राम था, जो 3000 किलोग्राम से कम था, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अंतर्गत किसी परमिट की आवश्यकता नहीं थी। आगे यह भी कहा गया कि दोषी ड्राइवर बबलू यादव के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, जो हल्के मोटर वाहन (निजी) वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी था; लेकिन न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालकर गलती की है कि व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए लाइसेंस पर विशेष अनुमति होना ज़रूरी था। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि चूँकि वाहन का लदा हुआ वजन 3000 किलोग्राम से कम था, इसलिए हल्के मोटर वाहन (निजी) लाइसेंस धारक चालक कानूनी तौर पर उस वाहन को चला सकता था, जिसके लिए दुलाई गाड़ी चलाने की किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं थी; लेकिन न्यायाधिकरण ने इस बात पर विचार नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि **बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी और अन्य (2025) 3 एस.सी.सी. 95** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, दोषी चालक के पास वाहन चलाने के लिए एक वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इन निवेदनों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि अपील को स्वीकार किया जाए और मुआवज़ा देने का दायित्व दोषी वाहन के बीमाकर्ता पर अधिरोपित किया जाए।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने बहुत ही निष्पक्षता से यह स्वीकार किया है कि, चूँकि दोषी मालवाहक वाहन का वजन 3000 किलोग्राम से कम था, इसलिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अनुसार, उसे चलाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आगे यह भी स्वीकार किया कि, चूँकि चालक के पास हल्के मोटर वाहन (निजी) वाहन चलाने का लाइसेंस था, इसलिए दुर्घटना के समय परिवहन वाहन चलाने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त)** के मामले में निर्णय दिया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

6. उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने *बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (उपर्युक्त) के मामले में, यह विश्लेषण करने के पश्चात कि क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक 7,500 किलोग्राम से कम भार वाले सभी वाहनों को चला सकता है, निम्नानुसार अभিনিर्धारित किया:-

"181.1. धारा 10(2)(डी) के तहत, हल्के मोटर वाहन (एल.एम.वी.) श्रेणी का लाइसेंस रखने वाला कोई भी चालक उन वाहनों के लिए जिनका कुल वजन 7500 किलोग्राम से कम है— मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10(2)(ई) के तहत विशेष रूप से "दुलाई वाहन" श्रेणी के लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता के बिना, "दुलाई वाहन" चलाने के लिए अधिकृत है। लाइसेंस के प्रयोजनों के लिए, हल्के मोटर वाहन और दुलाई वाहन पूर्णतः पृथक वर्ग नहीं हैं। दोनों के बीच आंशिक अतिव्यापन विद्यमान है। तथापि, विशेष पात्रता संबंधी आवश्यकताएं, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-कार्ट, ई-रिक्शा तथा खतरनाक वस्तुएं ले जाने वाले वाहनों पर लागू होती रहेंगी।

181.2. धारा 3(1) का दूसरा भाग, जो किसी "दुलाई वाहन" को चलाने के लिए एक विशिष्ट आवश्यकता पर जोर देता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(21)) में दी गई हल्के मोटर वाहन की परिभाषा का स्थान नहीं लेता है।

181.3. मोटर वाहन अधिनियम तथा मोटर वाहन नियमों में सामान्यतः "दुलाई वाहन" चलाने के लिए विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पात्रता मानदण्ड केवल उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो 7500 किलोग्राम से अधिक सकल वाहन भार वाले वाहन, अर्थात् "मध्यम माल वाहन", "मध्यम यात्री वाहन", "भारी माल वाहन" तथा "भारी यात्री वाहन" चलाने का आशय रखते हैं।

181.4. "मुकुंद देवांगन (2017) [मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2017) 14 एस.सी.सी. 663] में दिया गया निर्णय यथावत् बनाए रखा जाता है, किन्तु उन कारणों से जैसा कि इस निर्णय में हमारे द्वारा स्पष्ट किया गया है। किसी प्रत्यक्ष चूक के अभाव में, उक्त निर्णय अज्ञानवश नहीं है, भले ही उक्त निर्णय में मोटर वाहन अधिनियम तथा मोटर वाहन नियमों के कुछ उपबंधों पर विचार न किया गया हो।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(3)(i) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जहां किसी माल वाहन का सकल वाहन भार 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है, वहां परमिट की आवश्यकता नहीं होती। अपीलकर्ता ने दोषी वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की है, जिसका प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खण्डन नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि दोषी वाहन का लदा हुआ भार केवल 975 किलोग्राम था और इसके अतिरिक्त, वह वाहन एक मालवाहक वाहन था। इस तथ्य को देखते हुए कि वाहन का लदा हुआ वजन 3000 किलोग्राम से कम था, उसे चलाने के लिए परमिट की आवश्यकता नहीं थी; लेकिन दुर्भाग्यवश, न्यायाधीकरण ने इसके विपरीत निर्णय दिया है। तदनुसार, यह निर्णय दिया जाता है कि सार्वजनिक स्थान पर दोषी टेम्पो संख्या यू.पी.-70ए.टी.-3092 को चलाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं थी।

8. यह भी स्पष्ट है कि चूंकि दोषी वाहन का भार 7,500 किलोग्राम से कम था, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (21) के अनुसार यह एक हल्का मोटर वाहन (एल.एम.वी.) था, इसलिए इसे चलाने के लिए केवल हल्का मोटर वाहन (निजी) का पृष्ठांकन वाला लाइसेंस ही पर्याप्त था। **बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (उपर्युक्त) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, चालक के लिए परिवहन वाहन अथवा वाणिज्यिक वाहन चलाने हेतु पृथक ड्राइविंग लाइसेंस धारण करना आवश्यक नहीं था। यह विवादित नहीं है कि दोषी चालक बबलू यादव ड्राइविंग लाइसेंस धारित किए हुए था, जो 17.01.2004 से 16.01.2024 तक एल.एम.वी. निजी वाहन चलाने के लिए वैध था। इसे देखते हुए, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष निकालने में निश्चित रूप से गलती की है कि दुर्घटना की तारीख को दोषी ड्राइवर के पास कोई वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और दोषी वाहन को चलाने के लिए आगे परमिट की आवश्यकता थी। तदनुसार, इस अपील में गुण-दोष है और यह स्वीकार किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

प्रति आपति संख्या 52 वर्ष 2021 पर आदेश:-

1. दावेदारगण-प्रति-आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. कार्यालय की आख्या के अनुसार, वर्तमान प्रति आपति दाखिल करने में 1625 दिनों का विलम्ब है।

3. दावेदारगण-प्रति-आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूँकि दावेदार अनपढ़ थे और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि प्रतिकर की वृद्धि के लिए प्रति आपति दाखिल किया जाना आवश्यक था, अतः प्रति आपति समय के भीतर दाखिल नहीं की जा सकी।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया कि चूँकि स्वामी की प्रति-अपील लंबित है, अतः प्रति-आपति दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाए।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि इस न्यायालय की यह राय है कि प्रति-आपति दाखिल करने में हुई देरी क्षमा किए जाने योग्य है, तो इस न्यायालय द्वारा दी गई बड़ी हुई क्षतिपूर्ति यदि कोई हो पर, देरी की अवधि के लिए, ब्याज प्रदान न किया जाए।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है।

7. चूँकि मालिक की प्रति अपील लंबित थी, जिसका निर्णय आज ही किया गया है, अतः प्रति अपील दाखिल करने में हुई देरी क्षमा किए जाने योग्य है और तदनुसार क्षमा की जाती है, किन्तु निश्चय ही दावेदार देरी की अवधि के लिए ब्याज के हकदार नहीं हैं।

8. दावेदारों-प्रति -आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक खालिक अहमद उर्फ अच्छे की दुर्घटना के समय आयु लगभग 35 वर्ष थी, जो स्वयं सहित 10 व्यक्तियों के परिवार का भरण-पोषण कर रहा था, जो चिकन एवं अंडे बेचने के व्यवसाय में संलग्न था और प्रति माह 6,000/- रुपये अर्जित करता था, किन्तु इसके बावजूद न्यायाधिकरण ने मृतक की भावी संभावनाओं के मद में कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया, जबकि दावेदार **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए** के अनुसार 50% की दर से इसे प्राप्त करने के हकदार हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि मृतक के नौ आश्रित थे, अतः मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के मद में केवल 1/5वाँ भाग ही कटौती किया जाना अपेक्षित था, किन्तु न्यायाधिकरण ने 1/3 भाग की कटौती कर दी है, जिसमें कमी किया जाना अपेक्षित है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधिकरण ने गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत कम प्रतिकर प्रदान किया है तथा प्रतिकर पर 6% प्रतिवर्ष की दर से कम ब्याज भी प्रदान किया है, जबकि उपर्युक्त नियमावली के **नियम 220-ए** के अनुसार दावेदारों को कम-से-कम 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाना चाहिए था। इन प्रस्तुतियों के साथ यह प्रार्थना की गई कि दावेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रति-आपत्ति स्वीकार की जाए तथा उन्हें बड़े हुए प्रतिकर का भुगतान किया जाए।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने दावेदारों को प्रतिकर की उचित राशि प्रदान की है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी प्रकार की वृद्धि किया जाना अपेक्षित नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि प्रति-आपत्ति विलंब से दाखिल की गई थी, अतः इस न्यायालय द्वारा यदि प्रतिकर की राशि में कोई वृद्धि की जाती है, तो उस बड़े हुए राशि पर दावेदारों को कोई ब्याज प्रदान न किया जाए।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है तथा अपील के साथ प्रस्तुत अभिलेखों और आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है।

11. **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 का नियम 220-ए**, जो 26.09.2011 से प्रभावी है, यह अनिवार्य करता है कि जब दुर्घटना की तिथि पर मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, तो दावेदारगण उसकी आय के 50% की दर से भविष्य की संभावनाओं के मद में भी प्रतिकर पाने के हकदार हैं।

12. सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में, सहचर्य के खोने के मुआवजे के तौर पर 40,000 रुपये और संपत्ति के नुकसान तथा अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 15,000 रुपये

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्येक मद के लिए देने का आदेश दिया है; इस राशि में हर तीन साल बाद 10% की दर से बढ़ोतरी की जाएगी।

13. सर्वोच्च न्यायालय ने *मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम एवं अन्य*, (2018) 18 एस.सी.सी. 130 के मामले में, वैवाहिक सहचर्य, मातृ-पितृ सहचर्य तथा संतानीय सहचर्य के मद में प्रत्येक के लिए 40,000/- रुपये प्रदान किए हैं।

14. इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने *राहुल गणपतराव साबले बनाम लक्ष्मण मारुति जाधव (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य* (2023) 13 एस.सी.सी. 334 के मामले में, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

32. वर्तमान वाद में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने सहचर्य की हानि के मद में मात्र 5,000 रुपये की अल्प राशि प्रदान की थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने सभी पारंपरिक मदों के अंतर्गत 70,000 रुपये की कुल समेकित राशि प्रदान की, जिसमें सहचर्य की हानि, संपत्ति की हानि तथा अंतिम संस्कार व्यय सम्मिलित थे। *प्रणय सेठी [नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एस.सी.सी. 680: (2018) 3 एस.सी.सी. (सिविल) 248 : (2018) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 205]* में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह उपबंधित किया था कि सभी आश्रितों को सहचर्य की हानि के मद में पृथक-पृथक राशि प्रदान की जानी चाहिए तथा वास्तव में प्रत्येक आश्रित को 40,000 रुपये प्रदान किए थे। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, चारों आश्रितों में से प्रत्येक को सहचर्य की हानि के मद में 40,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

(जोर दिया गया)

15. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने *एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 2581 वर्ष 2011, सुशील कुमार एवं अन्य बनाम मेसर्स सम्पर्क लॉजिस्टिक प्रा. लि. एवं एक अन्य*, जिसका निर्णय 26.04.2017 को किया गया, में यह अभिनिर्धारित किया है कि भले ही दुर्घटना 26.09.2011 से पूर्व हुई हो, दावेदार उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के संशोधित नियम 220-ए के अनुसार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भविष्यगत संभावनाओं के आधार पर प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि यह एक लाभकारी कानून है।

16. **प्रणय सेठी (उपर्युक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए** के साथ पठित किए जाने पर, दावेदार मृतक की आय का 50% की दर से भविष्यगत संभावनाओं के मद में प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार थे, किन्तु न्यायाधिकरण ने इस मद में कोई राशि प्रदान नहीं की है, जो त्रुटिपूर्ण है। यह भी स्पष्ट है कि चूँकि मृतक के नौ आश्रित थे, जिनमें उसकी पत्नी, छह नाबालिग बच्चे तथा माता-पिता सम्मिलित थे, अतः **प्रणय सेठी (उपर्युक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत व्ययों के मद में केवल 1/5 भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित था, किन्तु न्यायाधिकरण ने 1/3 भाग की कटौती की है, जिसके लिए कमी किया जाना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट है कि **प्रणय सेठी (उपर्युक्त)**, **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त)** तथा **राहुल गणपतराव साबले (उपर्युक्त)** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए दावेदार गैर-आर्थिक मदों के अंतर्गत प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पाने के अधिकारी हैं। यह भी स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने प्रतिकर पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया है, जबकि **उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 के नियम 220-ए** के अनुसार दावेदार 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के हकदार थे।

17. उपर्युक्त कानूनी स्थिति के दृष्टिगत, दावेदार निम्नलिखित प्रतिकर पाने के हकदार हैं, जिसका पुनर्निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

क्र. सं.	प्रतिकर के मद	रुपये में प्रदान की गई राशि	इसके अनुसार
1.	मृतक की मासिक आय	3,000/-	न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित
2.	मृतक की वार्षिक आय	3,000 x 12 = 36,000/-	न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित
3.	व्यक्तिगत व्ययों के मद में 1/5 की कटौती (चूँकि नौ आश्रित थे)	7,200/-	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
4.	शुद्ध वार्षिक आय, जिस पर दावेदार आश्रित थे	28,800/-	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5.	भविष्यगत संभावनाओं के मद में 50% की वृद्धि, क्योंकि मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी	14,400/-	उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 का नियम 220-ए
6.	मृतक पर दावेदारों की कुल वार्षिक आश्रितता	43,200/-	उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली, 1998 का नियम 220-ए
7.	गुणक लागू किया गया, क्योंकि मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष थी	16	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
8.	दावेदारों को आश्रितता की कुल हानि	$43,200 \times 16 = 6,91,200/-$	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
9.	सहचर्य की हानि @ 40,000/- रुपये प्रत्येक, प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 10% की वृद्धि सहित (9 दावेदार)	$48,400 \times 9 = 4,35,600/-$	प्रणय सेठी (उपर्युक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपर्युक्त) तथा राहुल गणपतराव साबले (उपर्युक्त)
10.	संपत्ति की हानि @ 15,000/- रुपये, प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 10% की वृद्धि सहित	18,150/-	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
11.	अंतिम संस्कार व्यय @ 15,000/- रुपये, प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 10% की वृद्धि सहित	18,150/-	प्रणय सेठी (उपर्युक्त)
12.	कुल प्रतिकर	11,63,100/-	

18. इस प्रकार, दावेदार 11,63,100/- रुपये की कुल प्रतिकर राशि तथा दावा याचिका दाखिल किए जाने की तिथि से प्रतिकर की वास्तविक अदायगी की तिथि तक 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने के हकदार हैं, जिसका प्रतिपूर्ति दोषी तीन पहिया वाहन संख्या यू.पी.-70-ए.टी.-3092 के बीमाकर्ता द्वारा किया जाना है। उपर्युक्त दोषी वाहन के स्वामी को न तो दावेदारों को और न ही बीमा कंपनी को कोई प्रतिकर अदा करना अपेक्षित है।

19. चूँकि प्रति-आपत्ति 1625 दिनों की विलम्ब से दाखिल किया गया था, इसलिए इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिकर की बढी हुई राशि पर दावेदार विलम्ब की अवधि अर्थात् 13.10.2016 से 25.03.2021 तक किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. तदनुसार, मालिक द्वारा दायर अपील अर्थात् एफ.ए.एफ.ओ. संख्या 7 वर्ष 2026 तथा दावेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रति-आपत्ति स्वीकार किए जाते हैं। न्यायाधिकरण का दिनांक 21.07.2009 तथा 29.07.2009 का आक्षेपित निर्णय एवं पंचाट उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

21. बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि सहित ब्याज, दो माह की अवधि के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण में जमा करे। न्यायाधिकरण दावेदारों की आयु तथा निर्भरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि का दावेदारों के मध्य आनुपातिक रूप से विभाजन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

22. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह अपील दाखिल किए जाने के समय मालिक द्वारा जमा की गई वैधानिक जमा राशि तत्काल संबंधित न्यायाधिकरण को वापस कर दे। न्यायाधिकरण को निर्देश दिया जाता है कि वह इस राशि को अर्जित ब्याज सहित दोषी वाहन के मालिक को बिना किसी विलम्ब के वापस करे।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

27 जनवरी, 2026

जितेंद्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।